(293)
नि०-4496/2018/सिंगरौली/भू रा०

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर (म0प्र0)

कैम्प कोर्ट रीवा (म0प्र0)

विलोपित / विलोपित विलोपित / विलोपित विलोपित / विलोपित

मनोहर सिंह चन्देल पिता स्व0 विश्वनाथ सिंह चन्देल निवासी ग्राम बड़ोखर तहसील देवसर जिला सिंगरौली (म0प्र0) ....**आवेदक / निगरानीकर्ता**

बनाम

सुधाकर सिंह पिता संकठा सिंह चन्देल निवांसी ग्राम वरैनिया तहसील देवसर जिला सिंगरौली (म0प्र0) ....**अनावेदक / प्रत्युत्तरदाता**

अधि0 श्री महेन्द्र सिंह द्वारा पेश। 17-7-18

क्लर्क आफ कोर्ट
राजस्व मण्डल ग्वालियर
(कैम्प कोर्ट) रीवा

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959

द्वितीय निगरानी

निगरानी विरूद्व निर्णय व आदेश उपखण्ड अधिकारी देवसर राजस्व प्र. क. 0023/अ–74/2016–17 में पारित दिनांक 15/05/2017 से दिनांक 04/06/2018

मान्यवर,

निगरानी के तथ्य

1. यह कि आवेदक द्वारा दिनांक 09/01/2017 को आवेदन पत्रके माध्यम से निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 जिला कार्यालय में प्रस्तुत की गयी । जो जिला कलेक्टर महोदय सिंगरौली द्वारा आवेदक का आवेदन पत्र जांच वास्ते उपखण्ड अधिकारी देवसर को भेजी गयी थी।

(293)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

प्रकरण क्रमांक R / 4496 / 2018 / सिंगरौली / भू–रा0 जिला–.सिंगरौली

मनोहर सिंह / सुधाकर सिंह

(1)	(2)
18-12-18-	1. आवेदक की ओर से श्री महेन्द्र सिंह अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी, तहसील देवसर, जिला सिंगरौली के प्रकरण क्रमांक 0023 / अ–74 / 2016–17 में पारित आदेश दिनांक 04.06.18 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर, जिला सिंगरौली के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक 18.01.19 को कलेक्टर सिंगरौली के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो। सदस्य